न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीणा, आर ए एस
वाद संख्या :- 03/2021

उनवान मुकदमा

1. नानू राम
2. रामकुंवार
3. धुलाराम

} पुत्रान स्व. श्री रामदयाल जाति अहिर ढाणी गंगारामवाली, ग्राम उदावाला हाल हाल निवासी ढाणी अल्लू टीबा, ग्राम कल्याणपुरा ग्राम पंचायत उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

—वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल
2. राजेन्द्र कुमार

} पुत्रान मूल्या जाति ब्राह्मण निवासी मनोहरपुर, हाल निवासी मकान नं. 132, शिव गोरक्षक मंदिर के पास कागजीवाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर (राज.)

3. रमेश
4. महेश

} पुत्रान स्व. श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी मनोहरपुर(गढ़) शाहपुरा जिला – जयपुर (राज.)

5. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री भंवरलाल – जाति ब्राह्मण निवासी मनोहरपुर (गढ़) शाहपुरा जिला – जयपुर (राज.)

6. विनोद कुमार
7. नवीन कुमार

} पुत्रान स्व. श्री गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी मनोहपुर हाल निवासी मकान नं. 132 शिव गोरक्षक मंदिर के पास कागजीवाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर (राज.)

8. श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व. श्री गजानन्द – जाति ब्राह्मण निवासी मनोहपुर हाल निवासी मकान नं. 132 शिव गोरक्षक मंदिर के पास कागजीवाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर (राज.)

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 11-10-2021

1. संक्षेप में वाद पत्र इस प्रकार पेश किया गया है कि भूमि हाल ख0न0 4567 रकबा 0.95 है0 साबिक ख0न0 3081/1 रकबा दो बिघा 01 बिस्वा वाके साबिक ग्राम मनोहरपुर साबिक तहसील विराटनगर नया ग्राम उदावाला एवं हाल ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका मांग के अनुसार लगान राज में जमा कराते आ रहे है।
2. उक्त वर्णित भूमि मुतदाविया साबिक भू–प्रबन्ध के समय के पूर्व से ही वादीगण के पूर्वज स्व. रामदयाल के कब्जे काश्त खातेदारी की थी, जिसे साबिक भू–प्रबन्ध के समय भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलती से गैर कानूनी रूप से प्रतिवादीगण के पूर्वज मूल्या पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी, जबकि मूल्या पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण भूमि मुतदाविया का माफीदार था। माफी राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने के समय से भूमि वादग्रस्त की जागीर रिज्यूम होकर काबिज काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। तदन्तर राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय वादीगण का पिता स्व. रामदयाल भूमि मुतदाविया का खातेदार काबिज काश्त/काश्तकार कृषक था।
3. वादीगण का पिता स्व. रामदयाल पुत्र श्योलाल भूमि मुतदाविया का राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण से पूर्व से काबिज काश्त कृषक था, जिसे खातेदारी के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। परन्तु साबिक भू–प्रबन्ध के समय भू–प्रबन्धक विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों ने गलती से पर्चा खातेदारी माफीदार के नाम से दर्ज कर दिया जो स्व. रामदयाल अशिक्षित व भोला गांव का व्यक्ति होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं करवा सका, जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में प्रतिवादीगण के पूर्वज मूल्या पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण माफीदार का नाम ही बतौर खातेदार कृषक तदन्तर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चलता आ रहा है।
4. साबिक ख0न0 3081/2, 3081/3 क्रमशः 11 बिस्वा एवं 01 बीघा 04 बिस्वा कुल 01 बीघा 15 बिस्वा हाल ख0न0 4567 रकबा 0.95 है0 में से 0.47 है0 पर वादीगण के पिता का छोटा भाई स्व. किशना पुत्र श्योलाल काबिज काश्त खातेदार था, इस भूमि को किशना के पुत्र सीताराम ने

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वादीगण के पारिवारिक बंटवारा में वादीगण को दे दी, जो अब वादी सं0 01 के पुत्रों तथा वादी सं0 03 की पत्नि के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

5. माफीदार मूल्या पुत्र जगन्नाथ व मूल्या की पत्नि का देहान्त हो गया है तथा मूल्या के दो पुत्रों भंवरलाल व गजानन्द का भी देहान्त हो गया है। भंवरलाल मृतक के वारिसान प्रतिवादी सं0 03 लगा0 05 तथा गजानन्द मृतक के वारिसान प्रतिवादी सं0 06 लगा0 08 है। मृतक मूल्या के दो पुत्र बनवारी लाल व राजेन्द्र कुमार प्रतिवादी सं0 01 व 02 जीवित है। राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों ने प्रतिवादी सं0 03 लगा0 05 का नाम गलत रूप से मूल्या के पुत्र व पत्नि अंकित करते हुए इन्द्राज कर दिया है, जबकि प्रतिवादी सं0 03 लगा0 04 मूल्या के पौत्र है जो मूल्या के सबसे बड़े पुत्र भंवरलाल के पुत्र हैं तथा श्रीमती गीता देवी मृतक मूल्या की पुत्रवधु, भंवरलाल की पत्नि है। भूमि मुतदाविया में वादीगण ने अर्सा 40 वर्ष पूर्व भूमि सुधार कर पुख्ता मकान निवास स्थान, पशुघर, चाराघर आदि बनाकर निवास करते आ रहे है। वादीगण ने आवासीय मकानात में घरेलू बिजली का कनेक्शन वादी सं0 03 के नाम से लेकर बिजली चालू करवा रखी हैं एवं बिजली का घरेलू उपयोग करते आ रहे है। वादीगण ने अपनी दीगर खातेदारी भूमि के साथ साथ भूमि मुतदाविया का आपसी सहमति से हिस्सा का बंटवारा कर रखा है। बंटवारा अनुसार भूमि मुतदाविया में वादी सं0 01 का 1/4 हिस्सा, वादी सं0 02 का 1/2 हिस्सा एवं वादी सं0 03 का 1/4 हिस्सा है।

6. वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में वादीगण के नाम से इन्द्राज दुरूस्ती करावे जिसके लिए प्रतिवादीण हां करते हुए टालमटोल करते रहे है कि हम भाई जब शादी विवाह में मनोहरपुर आयेंगे जब बयान कर देंगे। प्रतिवादीगण को अब दबाव डालकर कहा तो वे दिनांक 22.12.2020 को साफ तौर से इन्कार हो गये एवं एलानिया धमकी दी कि भूमि मुतदाविया का गलत नाम से इन्द्राज कर दिया है जिसका वादीगण स्वयं ही दावा करके दुरूस्ती करावें तथा अपने अपने पक्ष में खातेदारी करा लेवें , हम प्रतिवादीगण का कोई दायित्व नहीं है। इस कारण दावा अन्दर मियाद पेश है। वादीगण को अधिकार है कि वादीगण अपनी वादग्रस्त खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकारों की अपने पक्ष में घोषणा करावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल करावें। अन्त में निवेदन किया है कि हाल आ0ख0नं0 4567/0.95 है0 में से 0.48 है0 वाकै हाल ग्राम कल्याणपुरा तह0 शाहपुरा (जयपुर) का वादीगण को बमुताबिक बंटवारा हिस्सा 1/4 वादी सं0 01 को, हिस्सा 1/2 वादी सं0 02 को, हिस्सा 1/4 वादी सं0 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण 03 लगा0 05 का नाम हजफ फरमाया जाकर निर्णय व डिक्री फरमाया जावे, तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वे उक्त भूमि ख0नं0 4567/0.95 है0 में से 0.48 है0 का वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नहीं करें।

7. दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 08 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दावा एवं राजीनामा दिनांक 17.03.2021 को पेश किया गया। दिनांक 11.08.2021 को प्रस्तुत दस्तावेज पर प्रदर्श डाले गये एवं दिनांक 26.03.2021 व दिनांक 02.08.2021 को वादी सं0 03 तुलाराम के पेशशुदा शपथ पत्रों पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह कराई गई। जवाब दावा प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया जिसमें वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अन्त में निवेदन किया गया है कि वर्णित भूमि ख0नं0 4567/0.95 है0 में से 0.48 है0 में हम प्रतिवादीगण के पूर्वज मूल्या पुत्र जगन्नाथ का नाम साबिक भू-प्रबन्ध के समय गलती से माफीदार होने से दर्ज कर दिया, जबकि भूमि मुतदाविया पर वादीगण का पिता स्व. रामदयाल काबिज काश्त काश्तकार था, जिस पर वादीगण पुख्ता मकान, पशुघर, चाराघर, बनाकर निवास कर रहे है अतः वादीगण के नाम खातेदारी घोषणा, उनके बंटवारा अनुसार निर्णय डिक्री फरमाया जावे, जिससे वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

8. प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 08 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया गया है। बिन्दू सं0 04 राजीनामा में लिखा है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज मूल्या का देहान्त हो गया है जिसके वारिस भंवरलाल, गजानन्द, बनवारी लाल, राजेन्द्र कुमार पुत्रान मूल्या तथा उनकी पत्नि है, जिनमें उनकी पत्नि तथा पुत्र भंवरलाल व गजानन्द का देहान्त हो गया है। मृतक भंवरलाल के वारिस प्रतिवादी सं0 03 लगा0 05 तथा मृतक गजानन्द के वारिस प्रतिवादी सं0 06 लगा0 08 है। राजस्व रिकॉर्ड में मृतक मूल्या के स्थान पर प्रतिवादी सं0 03 लगा 04 क्रमशः रमेश, महेश पुत्रान स्व. भंवरलाल, प्रतिवादी सं0 05 श्रीमती गीता देवी पत्नि स्व. भंवरलाल का नाम मूल्या के पुत्रगण एवं पत्नि के रूप में गलत दर्ज हो गया है, जबकि उक्त रमेश व महेश स्व. मूल्या के पौत्र व श्रीमती गीतादेवी पुत्रवधु है जो स्व. मूल्या के पुत्र

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

अब वादी सं0 01 के पुत्रों व वादी सं0 03 की पत्नि के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। सम्वत् 2008 से 2027 प्रदर्श 20 के अनुसार कॉलम 03 में ठिकाना शाहपुरा व कॉलम 04 में मूल्या भोक्ता के नाम दर्ज है इससे जाहिर है कि यह भूमि माफीदार के नाम दर्ज कर दी एवं पर्चा खातेदारी उक्त माफीदार के नाम दर्ज हो गया। जबकि मौके पर वादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त शुरू से ही रहा है। जो प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा व राजीनामा में माफीदार मूल्या के वारिसान ने स्वीकार किया है जिससे वादीगण के वादपत्र की ताईद होती है। भूमि मुतदाविया में वादीगण ने अर्सा 40 वर्ष पूर्व आवास, पशुघर, चाराघर बनाकर निवास करते आ रहे है एवं बिजली का घरेलू कनेक्शन भी लगा रखा है। वादीगण ने अपनी दीगर खातेदारी भूमि के साथ–साथ भूमि मुतदाविया की आपसी सहमति से हिस्सा का बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार भूमि मुतदाविया में से 1/4 हिस्सा वादी सं0 01 का 1/2 हिस्सा वादी सं0 02 का 1/4 हिस्सा वादी सं0 03 को प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार ही वादीगण काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण का कोई किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। इसकी ताईद स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा व राजीनामा से की है। इस प्रकार वादीगण के वादपत्र की ताईद होती है।

12. अतः दावा वादीगण प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा, ग्राम कल्याणपुरा प. ह. उदावाला तह0 शाहपुरा के हाल ख0नं0 4567 रकबा 0.95 है0 में से 0.48 है0 में प्रतिवादी सं0 03 लगा0 05 का नाम हजफ किया जाकर उक्त रकबा 0.48 में 1/4 भाग का वादी सं0 01 को 1/2 भाग का वादी सं0 02 को, एवं 1/4 भाग का वादी सं0 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल ख0नं0 4567/0.95 है0 ग्राम कल्याणपुरा प.ह. उदावाला तह0 शाहपुरा में 0.48 है0 में प्रतिवादी सं0 03, 04 रमेश, महेश पि0 मूल्या, प्रतिवादी सं0 03 श्रीमती गीता देवी पत्नि मूल्या जाति ब्राह्मण के स्थान पर प्रतिवादी सं0 03, 04 रमेश, महेश पि0 भंवरलाल, श्रीमति गीतादेवी पत्नि भंवरलाल दुरूस्त करते हुए उनके स्थान पर वादीगण को उपरोक्त बंटवारा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त में वादीगण को किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें बल्कि वादीगण को उनके हिस्से अनुसार काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करने देवें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-10-21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान मु. उदावाला पर पृथक से लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 03/2019

उनवान मुकदमा

4. नानू राम
5. रामकुंवार
6. तुलाराम

पुत्रान स्व. श्री रामदयाल जाति अहिर ढ़ाणी गंगारामवाली, ग्राम उदावाला हाल हाल निवासी ढ़ाणी अल्लू टीबा, ग्राम कल्याणपुरा ग्राम पंचायत उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

9. बनवारीलाल
10. राजेन्द्र कुमार

पुत्रान मूल्या जाति ब्राह्मण निवासी मनोहरपुर, हाल निवासी मकान नं. 132, शिव गोरक्षक मंदिर के पास कागजीवाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर (राज.)

11. रमेश
12. महेश

पुत्रान स्व. श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी मनोहरपुर(गढ़) शाहपुरा जिला – जयपुर (राज.)

13. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री भंवरलाल – जाति ब्राह्मण निवासी मनोहरपुर (गढ़) शाहपुरा जिला – जयपुर (राज.)

14. विनोद कुमार
15. नवीन कुमार

पुत्रान स्व. श्री गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी मनोहपुर हाल निवासी मकान नं. 132 शिव गोरक्षक मंदिर के पास कागजीवाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर (राज.)

16. श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व. श्री गजानन्द – जाति ब्राह्मण निवासी मनोहपुर हाल निवासी मकान नं. 132 शिव गोरक्षक मंदिर के पास कागजीवाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर (राज.)

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 11-10-2021

अतः दावा वादीगण प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा, ग्राम कल्याणपुरा प. ह. उदावाला तह० शाहपुरा के हाल ख०नं० 4567 रकबा 0.95 है० में से 0.48 है० में प्रतिवादी सं० 03 लगा० 05 का नाम हजफ किया जाकर उक्त रकबा 0.48 में 1/4 भाग का वादी सं० 01 को 1/2 भाग का वादी सं० 02 को, एवं 1/4 भाग का वादी सं० 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल ख०नं० 4567/0.95 है० ग्राम कल्याणपुरा प.ह. उदावाला तह० शाहपुरा में 0.48 है० में प्रतिवादी सं० 03, 04 रमेश, महेश पि० मूल्या, प्रतिवादी सं० 03 श्रीमती गीता देवी पत्नि मूल्या जाति ब्राह्मण के स्थान पर प्रतिवादी सं० 03, 04 रमेश, महेश पि० भंवरलाल, श्रीमति गीतादेवी पत्नि भंवरलाल दुरूस्त करते हुए उनके स्थान पर वादीगण को उपरोक्त बंटवारा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त में वादीगण को किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें बल्कि वादीगण को उनके हिस्से अनुसार काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करने देवें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज तारीख 11-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला जयपुर राज

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ...... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	